DBS बैंक इंडिया लिमिटेड (DBIL)

DBS की विस्तृत डिपॉज़िट पॉलिसी

संस्करण: अगस्त 2024

I. मार्गदर्शक सिद्धांत

यह दस्तावेज़ बैंक द्वारा पेश किए जाने वाले विभिन्न डिपॉज़िट उत्पादों और इनसे संबंधित बैंकिंग सेवाओं के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों की जानकारी देता है। यह दस्तावेज़ जमाकर्ताओं के अधिकारों को मान्यता देता है और इसका उद्देश्य ग्राहकों के लाभ के लिए जनता से डिपॉज़िट स्वीकार करने, अलग-अलग डिपॉज़िट खातों के संचालन, अलग-अलग डिपॉज़िट खातों पर ब्याज का भुगतान, डिपॉज़िट खातों को बंद करना, मृतक जमाकर्ताओं की डिपॉज़िट राशि के निपटान की विधि आदि के अलग-अलग पहलुओं के बारे में जानकारी देना है। यह दस्तावेज़ ग्राहकों के साथ व्यवहार में अधिक पारदर्शिता लाने और ग्राहकों के बीच जागरूकता पैदा करने की आशा के साथ बनाया गया है।

इस नीति को अपनाते हुए, हमारा बैंक भारतीय बैंक एसोसिएशन की ग्राहकों के प्रति बैंक प्रतिबद्धता संहिता में दी गई ग्राहकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराता है।

DBS बैंक इंडिया लिमिटेड (DBIL), DBS बैंक लिमिटेड (DBL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। सर्वोत्तम कार्यविधियों को अपनाने के मामले में DBIL जटिल, लंबी अवधि वाले, बड़े या महत्वपूर्ण लेनदेन से निपटने के दौरान DBL के अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा ताकि समूह के न्यूनतम स्वीकृति मानदंडों को पूरा किया जाना सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा DBIL यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह परिचालन समूह के न्यूनतम स्वीकृति मानदंडों को पूरा करता है, DBL द्वारा निर्धारित की गई नीतियों और मानकों पर विचार करेगा और उन्हें भारतीय विनियमों के अनुरूप अनुकूलित करेगा।

II. पॉलिसी

यह दस्तावेज़ डिपॉज़िट राशि पर मौजूदा विनियमों पर आधारित है। अलग-अलग डिपॉज़िट योजनाओं और उनसे संबंधित सेवाओं पर विस्तृत परिचालन निर्देश समय-समय पर जारी किए जाएंगे।

1. **<u>खाता खोलना -</u>** बैंक अपने ग्राहकों को अलग-अलग प्रकार के उपलब्ध खातों का विवरण प्रदान करेगा जिन्हें वे बैंक में खोल सकते हैं। ग्राहक अपनी ज़रूरतों, आवश्यकताओं और लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने लिए सबसे उपयुक्त खाते के प्रकार का चुनाव कर सकते हैं।

बैंक, खाता खोलने से पहले अपने ग्राहकों से, बैंक की "अपने ग्राहक को जानें" (KYC) नीति और RBI द्वारा जारी KYC दिशानिर्देशों और अन्य नियामक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार दस्तावेज और जानकारी की मांग करेगा। बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली उचित परिश्रम (ड्यू डिलिजेंस) प्रक्रिया में, दस्तावेजों की जांच करना, ग्राहकों की पहचान, पता, व्यवसाय या धन के स्रोत की जानकारी सत्यापित करना शामिल होगा। उचित परिश्रम (ड्यू डिलिजेंस) प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, बैंक को खाते के प्रकार (भौतिक / डिजिटल) के अनुसार सभी डिपॉज़िट / खाताधारकों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की हाल ही में खींची गई रंगीन तस्वीर की आवश्यकता होगी। बैंक को PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) दिशानिर्देशों का पालन करना भी ज़रूरी है, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

बैंक को ग्राहकों से उनकी स्थायी खाता संख्या (PAN) , अथवा आयकर अधिनियम/नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट फ़ॉर्म संख्या 60 या 61 में घोषणा प्राप्त करना आवश्यक है।

ग्राहक की प्रोफ़ाइल के आधार पर ग्राहकों की KYC जानकारी समय-समय पर अपडेट की जाएगी।

बैंक ग्राहकों को खाता खोलने के लिए फ़ॉर्म और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराएगा, ताकि वे खाता खोल सकें। बैंक ग्राहकों को सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवश्यक जानकारी का पूरा विवरण भी देगा।

ग्राहक अपना खाता उपलब्ध अलग-अलग तरीकों में से किसी भी एक के माध्यम से खोल सकते हैं, जैसे कि डिजिटल बचत बैंक खाता खोलने के लिए, ऐप स्टोर से DBS बैंक का डिजीबैंक एप्लीकेशन डाउनलोड करके और स्वैच्छिक रूप से अपना आधार नंबर प्रदान करके, और बैंक को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रदान करके या वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया (V-CIP) के माध्यम से, जो विशेष रूप से भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों द्वारा किया जा सकता है, प्रक्रिया पूरा करके आधार आधारित डिजिटल खाता खोल सकता है। ग्राहक बैंक की शाखा में जाकर, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट एजेंट से मिलकर भी खाता खोल सकते हैं।

बैंक अपने विवेकानुसार, समय-समय पर निर्धारित नीति के आधार पर खाता खोलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ग्राहक बैंक द्वारा समय-समय पर पेश किए जाने वाले अन्य बैंकिंग उत्पाद सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं, जो DBS मोबाइल के डिजीबैंक पर, इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म पर या किसी भी शाखा में उपलब्ध हैं।

बैंक धन शोधन निवारण (रिकॉर्ड रखरखाव) नियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार नए व्यक्तिगत (इंडिविजुअल) और गैर-व्यक्तिगत (नॉन-इंडिविजुअल) खातों से संबंधित आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेजों (OVD) के साथ ग्राहक का KYC डेटा CERSAI (CKYCR) पर अपलोड करेगा। बैंक ग्राहक से प्राप्त विशिष्ट सहमति के आधार पर CKYC नंबर या PID विवरण का उपयोग करके ग्राहक का KYC डेटा OVD के साथ CERSAI (CKYCR) से डाउनलोड भी कर सकता है।

ग्राहक अपने किसी भी प्रश्न के लिए बैंक से अलग-अलग माध्यमों जैसे कि ग्राहक सेवा नंबर, ईमेल आदि के माध्यम से या शाखाओं पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, जो बैंक समय-समय पर उपलब्ध कराता है। बैंक जल्द से जल्द प्रश्नों का समाधान करने/उत्तर देने का प्रयास करेगा।

2. **<u>डिपॉज़िट खातों के प्रकार-</u>** डिपॉज़िट उत्पादों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

सेविंग्स बैंक अकाउंट/बचत बैंक खाता - पात्र व्यक्ति/व्यक्तियों और कुछ संगठनों/एजेंसियों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर दी गई सलाह के अनुसार खोला जा सकता है। इसमें HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) भी शामिल है। ग्राहक की आवासीय स्थिति के आधार पर खाते को निवासी बचत/अनिवासी बचत (NRO) खाते के रूप में खोला जा सकता है। DBIL कई प्रकार के बचत खाते खोलने का विकल्प प्रदान करता है, जिनका विवरण इस दस्तावेज़ में आगे दिया गया है।

बचत खाते की प्रचलित ब्याज दरें बैंक की वेबसाइट पर अपडेट की जाएंगी। बचत डिपॉज़िट खातों पर ब्याज दरों की गणना और डिपॉज़िट RBI के दिशा-निर्देशों के आधार पर की जाएगी, जो समय-समय पर बदलती रहती हैं।

व्यक्तिगत खाते (इंडिविजुअल अकाउंट) ग्राहक द्वारा अपने नाम से (एकल नाम से) या ग्राहक द्वारा अन्य लोगों के साथ संयुक्त रूप से (जाइंट खाता) खोले जा सकते हैं।

एक से अधिक व्यक्तियों के साथ खोले गए जाइंट खाते को ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट हस्ताक्षर अधिदेश के आधार पर एक ही व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा सकता है। खाते के संचालन के लिए हस्ताक्षर अधिदेश को केवल सभी खाताधारकों की सहमति से ही संशोधित किया जा सकता है। NRI के किसी करीबी रिश्तेदार को मौजूदा/नए निवासी बैंक खाते में निवासी खाताधारक के साथ संयुक्त धारक के रूप में "दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी" आधार पर शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि लागू नियामक शर्तें पूरी हों। NRE/NRO जाइंट खातों के मामले में, घरेलू करीबी रिश्तेदार को मौजूदा/नए निवासी बैंक खाते में निवासी खाताधारक के साथ संयुक्त धारक के रूप में "पूर्व या उत्तरजीवी" आधार पर शामिल किया जा सकता है, बशर्ते कि लागू नियामक शर्तें पूरी हों। PIO/OCI कार्ड धारक जो एक वित्तीय वर्ष में 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहते हैं, प्रक्रिया के अनुसार अपेक्षित KYC दस्तावेज डिपॉज़िट करके निवासी बचत खाता (रेजीडेंस सेविंग्स अकाउंट) खोल सकते हैं। ग्राहकों की निवास स्थिति के संबंध में बैंक द्वारा समय-समय पर उचित परिश्रम (ड्यू डिलिजेंस) की प्रकिया की जाएगी।

KYC के संबंध में RBI के मास्टर निर्देशों के अनुसार, OTP-आधारित खातों में लेन-देन (ट्रांज़ैक्शन) और शेष राशि सीमा संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना; तथा खाते खोलने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण KYC पूरा करना शामिल है, अन्यथा खाते बंद कर दिए जाएंगे।

KYC के संबंध में RBI के मास्टर निर्देशों और बैंक की KYC नीति के अनुसार, बैंक वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया के माध्यम से एक बैंक खाता खोल सकता है या ग्राहक का पुनः KYC कर सकता है या OTP आधारित गैर-आमने-सामने खाते को अपग्रेड कर सकता है।

2.1.1 *बुनियादी बचत बैंक डिपॉज़िट खाता (BSBDA):* "बुनियादी बचत बैंक डिपॉज़िट खाता" का अर्थ है अधिक वित्तीय समावेशन के लिए खोला गया डिमांड डिपॉजिट खाता। ऐसे खाते अपने ग्राहक को जानें (KYC)/एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) मानदंडों पर RBI के निर्देशों के अधीन होते हैं। अगर ऐसा खाता सरलीकृत KYC मानदंडों के आधार पर या KYC के बिना खोला जाता है, तो खाते को अतिरिक्त रूप से 'स्मॉल अकाउंट' माना जाएगा।

खाते की विशेषताएं - उत्पाद का विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

- निष्क्रिय BSBDA खाते के गैर-संचालन/सक्रियण (एक्टिवेशन) के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

KYC

- BSBDA खाता, बैंक खाते खोलने के संबंध में RBI के KYC/AML से संबंधित समय-समय पर संशोधित निर्देशों के अधीन है।

- BSBDA खोलते समय हम RBI मास्टर निर्देश द्वारा निर्दिष्ट पूरे KYC दस्तावेज जैसे आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (OVD) या डीम्ड OVD प्राप्त करते हैं।

'स्मॉल अकाउंट'

व्यक्तिगत ग्राहक जिसके पास KYC के रूप में कोई आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ (OVD) नहीं है और वह बैंक खाता खोलना चाहता है, तो उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन एक 'स्मॉल अकाउंट' खोलना होगा:

- बैंक ग्राहक से स्व-सत्यापित (सेल्फ अटेस्टेड) फोटो प्राप्त करेगा।
- बैंक शाखा का नामित अधिकारी अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा कि खाता खोलने वाले व्यक्ति ने उसकी उपस्थिति में अपना हस्ताक्षर किया या अंगूठे का निशान लगाया है।
- ऐसे खातों में लेन-देन (ट्रांजेक्शन) की कुल राशि और शेष राशि की निर्धारित मासिक और वार्षिक सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा और लेन-देन (ट्रांजेक्शन) करने की अनुमति देने से पहले इसकी जांच की जाएगी।
- इन खातों में विदेशी आवक धन-प्रेषण की अनुमति नहीं होगी।
- खाता शुरू में बारह महीने की अवधि तक संचालित रहेगा जिसे अतिरिक्त बारह महीने की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते खाताधारक इसके लिए आवेदन करे और उक्त खाता खोलने के पहले बारह महीनों के दौरान किसी OVD के लिए आवेदन करने का सबूत प्रस्तुत करे।
- प्रावधानों में दी गई संपूर्ण छूट की चौबीस महीने के बाद समीक्षा की जाएगी। अगर चौबीस महीने के भीतर OVD डिपॉज़िट नहीं किया जाता है, तो खाते को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया जाएगा और आगे उसमें कोई लेन-देन (ट्रांजेक्शन) करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अन्य ज़रूरी बातें

- विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार, BSBDA धारक DBIL में कोई अन्य बचत खाता (सेविंग्स अकाउंट) खोलने के लिए पात्र नहीं हैं;
- अगर ग्राहक के पास DBIL के साथ कोई अन्य मौजूदा बचत खाता है, तो ग्राहक को BSBDA खोलने के 30 दिनों के भीतर ऐसे खाते को बंद करना होगा;
- अगर ग्राहक द्वारा BSBDA खोलने के 30 दिनों के भीतर ऐसे खाते को बंद नहीं किया जाता है, तो बैंक विनियामक दिशा-निर्देशों के तहत लागू अन्य बचत खातों (अगर कोई हो) को बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है;
- एक व्यक्ति के पास केवल एक BSBDA खाता हो सकता है।

2.2 ***चालू खाता (करेंट अकाउंट)-*** इसे व्यक्तियों, एकल स्वामित्व / साझेदारी और सीमित देयता भागीदारी फर्मों / निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों / HUF / सोसायटी / ट्रस्ट आदि द्वारा खोला जा सकता है। चालू खातों में रखी गई डिपॉज़िट राशियों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। DBIL कई प्रकार के चालू खाते की **सुविधाप्रदान करता है।**

2.3 ***विदेशी मुद्रा खाता*** - RBI द्वारा निर्दिष्ट लेनदेन के लिए, निवासी भारतीय ग्राहक द्वारा खोला जा सकता है।

2.4 ***विशेष रुपी खाता*** **-** RBI द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित विनियमों के अनुसार, भारत में न रहने वाले विदेशी व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है।

2.5 ***सावधि या फिक्स्ड डिपॉज़िट या FD खाता*** **-** यह एक निर्दिष्ट अवधि और राशि के लिए बुक की गई डिपॉज़िट है। यह डिपॉज़िट बचत/चालू खाते से जुड़ा हुआ हो सकता है या इसे अकेले भी बुक किया जा सकता है।

व्यक्तियों / एकल स्वामित्व / साझेदारी फर्मों / निजी और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों / HUF / सोसायटियों / ट्रस्ट आदि द्वारा शाखाओं में जाकर या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से डिजिटल रूप से डिपॉज़िट प्लेसमेंट अनुरोध करके फिक्स्ड डिपॉजिट खोला जा सकता है। ग्राहकों के पास डिपॉज़िट बुकिंग के समय निम्नलिखित का चयन करने का विकल्प होगा।

अवधि: न्यूनतम 7 दिनों से शुरू (डिजीबैंक मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बुक की गई डिपॉज़िट के लिए, न्यूनतम अवधि 90 दिनों है। कम अवधि के लिए डिपॉज़िट ग्राहक शाखा के माध्यम से बुक कर सकते हैं)

राशि: आवेदन पत्र में परिभाषित न्यूनतम राशि से शुरू

ब्याज: चक्रवृद्धि ब्याज / साधारण ब्याज / त्रैमासिक भुगतान या मासिक भुगतान

परिपक्वता: मूलधन और ब्याज का स्वतः नवीनीकरण (स्वतः नवीनीकरण) / केवल मूलधन और ब्याज का स्वतः नवीनीकरण लिंक किए गए बैंक खाते में डिपॉज़िट किया जाएगा / पूरी राशि (मूलधन और ब्याज सहित) लिंक किए गए खाते में डिपॉज़िट की जाएगी / डिमांड ड्राफ्ट जारी किया जाएगा / NEFT / RTGS / IMPS / UPI के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक धन प्रेषण (डिजीबैंक मोबाइल बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बुक की गई फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए लागू नहीं)।

उपर्युक्त विस्तृत श्रेणियों के अंतर्गत, बैंक विशिष्ट लक्षित ग्राहक खंडों के लिए विशिष्ट विशेषताओं वाले अलग-अलग उत्पाद प्रस्तुत कर सकता है, जैसे अप्रतिदेय डिपॉज़िट, बेंचमार्क से जुड़ी फ्लोटिंग दर डिपॉज़िट आदि।

2.6 ***आवर्ती जमा (रीकरिंग डिपॉज़िट)*** **-** यह उन लोगों के लिए है जो एक निश्चित दर पर प्रतिफल के लिए मासिक रूप से एक निश्चित राशि निवेश करना चाहते हैं। परिपक्वता / पूर्व-समापन की तिथि पर, ग्राहक को मूल राशि के साथ-साथ उस अवधि के दौरान अर्जित ब्याज भी मिलेगा।

2.7 ***अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) से संबंधित डिपॉज़िट*** **-** बैंक अनिवासी भारतीय (NRI) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) को FCNR (B) डिपॉज़िट, NRE डिपॉज़िट और NRO डिपॉज़िट की सुविधा प्रदान करता है।

- NRE/NRO डिपॉज़िट के लिए, ब्याज दरें बैंकों द्वारा तुलनीय घरेलू रुपया सावधि डिपॉज़िट पर दी जाने वाली दरों से अधिक नहीं होंगी।
- बैंक के अपने कर्मचारी या वरिष्ठ/अति वरिष्ठ नागरिक होने के कारण बैंक द्वारा डिपॉज़िट पर दिए जाने वाले अतिरिक्त ब्याज दर का लाभ (अगर कोई हो) NRE और NRO डिपॉज़िट के लिए उपलब्ध नहीं होगा।
- यह नीति केवल DBS बैंक इंडिया लिमिटेड द्वारा दी जाने वाली डिपॉज़िट सुविधा पर ही लागू होती है।

अनुमत डेबिट/क्रेडिट, डिपॉज़िट की अवधि, डिपॉज़िट की ब्याज दर, समयपूर्व निकासी, निवासी स्थिति में बदलाव होने पर निवासी में रूपांतरण और खाते का संचालन, नामांकन सुविधा, मृतक खाते का संचालन आदि RBI के मास्टर निर्देशों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

FCNR (B) योजना के अंतर्गत सावधि डिपॉज़िट पर ब्याज दरें निम्नलिखित में से एक या अधिक कारणों से ही भिन्न होती हैं:

- डिपॉज़िट की अवधि: FCNR (B) योजना के अंतर्गत सावधि डिपॉज़िट की परिपक्वता अवधि निम्नानुसार है:
    - एक वर्ष और उससे अधिक लेकिन दो वर्ष से कम
    - दो वर्ष और उससे अधिक लेकिन तीन वर्ष से कम
    - तीन वर्ष और उससे अधिक लेकिन चार वर्ष से कम
    - चार वर्ष और उससे अधिक लेकिन पांच वर्ष से कम
    - केवल पांच वर्ष
- डिपॉज़िट का आकार: DBS अपने विवेक से मुद्रा-वार न्यूनतम मात्रा तय करता है जिस पर अलग-अलग ब्याज दरें प्रदान की जाती हैं।
- FCNR (B) डिपॉज़िट के लिए ब्याज भुगतान को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित किया जाता है।

ब्याज दरों की अधिकतम सीमा समय-समय पर जारी नियामक दिशानिर्देशों के आधार पर तय की जाएंगी।

2.8 ***निवासी विदेशी मुद्रा खाता योजना*** **-** RFC डिपॉज़िट उन अनिवासी भारतीयों/PIO के लिए लागू है जो स्थायी रूप से भारत लौट आते हैं, जिसमें उनकी स्थिति अनिवासी से निवासी में बदल जाती है। बैंक निवासी विदेशी मुद्रा खाता योजना के तहत अपने द्वारा स्वीकार किए गए या उसके द्वारा नवीनीकृत धन के डिपॉज़िटपर ब्याज का निर्धारण (अगर पात्र हो), संपत्ति और देयता समिति (ALCO) द्वारा स्वीकृत डिपॉज़िट पर ब्याज दरों के अनुसार करेगा। जब अनिवासी भारतीय (NRI) की आवासीय स्थिति निवासी में बदल जाती है, तो खाताधारक के विकल्प पर गैर-निवासी बाहरी (NRE) खाते और/या विदेशी मुद्रा गैर-निवासी बैंक [FCNR (B)] खाते में शेष राशि RFC खाते में डिपॉज़िट की जा सकती है (अगर पात्र हो)।

2.9 ***सावधि डिपॉज़िट के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट/डिपॉज़िट ऋण*** **-** ग्राहक आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके जमाकर्ता द्वारा विधिवत डिस्चार्ज की गई सावधि डिपॉज़िट के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट सुविधा/डिपॉज़िट ऋण के लिए अनुरोध कर सकता है। ROI, अवधि, आदि से संबंधित दिशा-निर्देश बैंक द्वारा तय किए जाएंगे जो समय-समय पर जारी किए गए विनियामक दिशा-निर्देशों और बैंक की ऋण नीति के अनुसार होंगे। अगर डिपॉज़िट परिपक्वता आय, लिए गए ऋण के तहत दायित्व को अर्जित/डेबिट ब्याज के साथ पूरा करने के लिए पर्याप्त है, तो बैंक जमाकर्ता को उचित सूचना देकर डिपॉज़िट और डिपॉज़िट ऋण दोनों को समायोजित और बंद करने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

3. **<u>ब्याज</u>** **-** बैंक सावधि डिपॉज़िट पर ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य दिशा-निर्देशों के अंतर्गत तय करता है। विनियामक द्वारा अनुमत ग्राहक श्रेणियों जैसे कि DBS स्टाफ, वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, बैंक अपने विवेक से, समय-

समय पर, सामान्य बैंक दर के अलावा अतिरिक्त ब्याज की भी अनुमति दे सकता है, जो एक प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी। यह केवल रैक दर सावधि डिपॉज़िट और आवर्ती डिपॉज़िट के लिए लागू होगा।

सावधि डिपॉज़िट पर ब्याज की गणना तिमाही अंतराल पर या वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी तथा इसका भुगतान डिपॉज़िट की अवधि के आधार पर बैंक द्वारा तय दर से किया जाएगा।

मासिक डिपॉज़िट योजना (मंथली डिपॉज़िट स्कीम) के मामले में, ब्याज की गणना तिमाही के लिए की जाएगी और भुगतान रियायती मूल्य पर हर महीने किया जाएगा। ब्याज भुगतान को निकटतम रुपए में पूर्णांकित कर दिया जाता है।

अगर डिपॉज़िट बुकिंग के बाद, निवासी ग्राहकों के लिए 7 दिनों के भीतर तथा अनिवासी ग्राहकों के मामले में 1 वर्ष के भीतर समय से पूर्व बंद कर दिया जाता है, तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

भारतीय बैंक एसोसिएशन (IBA) की बैंकिंग अभ्यास के लिए संहिता IBA द्वारा जारी की गई है, जिसे सदस्य बैंकों द्वारा समान रूप से अपनाया जाना चाहिए। इस संहिता का उद्देश्य न्यूनतम मानक निर्धारित करके अच्छे बैंकिंग अभ्यास को बढ़ावा देना है, जिसका सदस्य बैंकों को ग्राहकों के साथ अपने व्यवहार में पालन करना चाहिए।

घरेलू सावधि डिपॉज़िट पर ब्याज की गणना के उद्देश्य से, IBA ने निर्धारित किया है कि तीन महीने से कम समय में चुकाए जाने वाले डिपॉज़िट पर या जहां टर्मिनल तिमाही अधूरी है, ब्याज का भुगतान वास्तविक दिनों की संख्या के अनुपात में किया जाना चाहिए। बैंक डिपॉज़िट के लिए उपर्युक्त ब्याज गणना का पालन करता है। उदाहरण: अगर डिपॉज़िट 7 महीने की अवधि के लिए है, तो ब्याज का भुगतान 2 तिमाहियों के लिए किया जाएगा और शेष ब्याज का भुगतान दिनों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

इस गणना के प्रयोजन के लिए, एक वर्ष में दिनों की संख्या लीप वर्ष में 366 दिन तथा अन्य वर्षों में 365 दिन मानी जाएगी।

ब्याज राशि/कर देयता की गणना करते समय बैंक सभी शाखाओं में रखे गए सभी FD को एक CIF के अंतर्गत मानता है।

बैंक सदैव ग्राहकों से सावधि डिपॉज़िट परिपक्वता अनुदेश लेता है तथा इसके अभाव में या डिपॉज़िट के अतिदेय हो जाने की स्थिति में, विद्यमान नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बचत खाते पर लागू ब्याज दर या अनुबंधित दर, जो भी कम हो, लागू की जाएगी।

बैंक सावधि डिपॉज़िट पर ब्याज की गणना भारतीय बैंक एसोसिएशन द्वारा सुझाए गए फार्मूले और परंपराओं के अनुसार करता है।

"बल्क डिपॉजिट" शब्द का इस्तेमाल 3 करोड़ रुपये (इसके बराबर विदेशी मुद्रा राशि) और उससे ज़्यादा की एकल रुपी सावधि डिपॉज़िट / FCNR (B) डिपॉज़िट के लिए किया जाएगा। बैंक थोक डिपॉज़िट (बल्क डिपॉजिट) के लिए समान परिपक्वता राशि के डिपॉज़िट के लिए अलग-अलग ब्याज दरें दे सकता है। 3 करोड़ रुपये से कम डिपॉज़िट राशियों के लिए, समान परिपक्वता राशि के डिपॉज़िट पर समान दर यानी कार्ड दरें लागू

होंगी। रुपी सावधि डिपॉज़िट में घरेलू सावधि डिपॉज़िट के साथ-साथ NRO और NRE खातों के तहत आने वाले सावधि डिपॉज़िट भी शामिल होंगे।

3 करोड़ रुपये से कम डिपॉज़िट राशि के लिए कार्ड दरों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और आवश्यक बदलावों की सिफारिश मंजूरी के लिए ALCO को भेजी जाएगी। थोक डिपॉज़िट के लिए अलग-अलग दरें परिसंपत्ति/देयता आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की जाएंगी और समान राशि और अवधि की डिपॉज़िट के लिए समान दरें लागू होंगी।

डिपॉज़िट पर ब्याज दर शाखा परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी और वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। डिपॉज़िट योजनाओं और अन्य संबंधित सेवाओं के संबंध में अगर कोई बदलाव होता है, तो उसे भी शाखा परिसर और बैंक की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित करके पहले ही सूचित किया जाएगा।

अगर कोई NRE खाताधारक भारत लौटने पर तुरंत NRE सावधि डिपॉज़िट को निवासी विदेशी मुद्रा खाते (RFC) में परिवर्तित करने का अनुरोध करता है, तो ब्याज का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा:

i) अगर NRE डिपॉज़िट न्यूनतम एक वर्ष की अवधि तक नहीं चला है, तो ब्याज का भुगतान RFC खातों में रखी गई बचत डिपॉज़िटओं पर देय दर से अधिक दर से नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि इस रूपांतरण के लिए अनुरोध NRE खाताधारक द्वारा भारत लौटने पर तुरंत किया गया हो।
ii) अन्य सभी मामलों में, ब्याज का भुगतान अनुबंधित दर पर किया जाएगा।

छुट्टियों के दिन परिपक्व होने वाली डिपॉज़िट राशि स्वचालित रूप से अगले कार्य दिवस पर परिपक्व हो जाएगी और ग्राहक को प्रारंभिक डिपॉज़िट बुकिंग की दर पर अतिरिक्त दिन/दिनों के लिए ब्याज आय प्राप्त होगी।

डिपॉज़िट करते समय, ग्राहक परिपक्वता तिथि पर डिपॉज़िट खाते को बंद करने या आगे की अवधि के लिए डिपॉज़िट के नवीकरण के संबंध में निर्देश दे सकते हैं।

सावधि डिपॉज़िट पर परिपक्वता निर्देशों के अभाव में, व्यक्ति/HUF/ट्रस्ट/सोसायटी के मामले में, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड परिपक्वता की तारीख के बारे में जमाकर्ता को अग्रिम रूप से सूचित करेगा और बैंक मूल डिपॉज़िट के समान अवधि के लिए डिपॉज़िट को प्रचलित ब्याज दर पर नवीनीकृत करेगा। दूसरों के लिए, बैंक परिपक्वता आय ग्राहक के बचत/चालू खाते में क्रेडिट करेगा। जहां कोई ग्राहक हमारे साथ बचत/चालू खाता नहीं रखता है, तो परिपक्वता आय परिपक्वता निर्देशों में दिए गए ग्राहक के बैंक खाते में भेज दी जाएगी, अन्यथा हम ग्राहक से निर्देश मिलने तक परिपक्वता आय को अपने पास रखेंगे और ऐसे अतिदेय डिपॉज़िट पर समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

अगर किसी व्यक्ति के सभी सावधि डिपॉज़िट पर भुगतान किया गया/देय कुल ब्याज, आयकर अधिनियम के तहत और CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड) के समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट राशि से अधिक है, तो स्रोत पर कर कटौती करना बैंक का वैधानिक दायित्व है। बैंक काटे गए कर के लिए तिमाही आधार पर कर कटौती प्रमाणपत्र (TDS प्रमाणपत्र) जारी करेगा। नियमों के अनुसार TDS दरें समय-समय पर लागू होंगी। अगर जमाकर्ता TDS से छूट का हकदार है, तो वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में फ़ॉर्म 15G/H में घोषणा प्रस्तुत कर सकता है।

FCNR (B) डिपॉज़िट के लिए ब्याज का भुगतान :

(a) योजना के अंतर्गत स्वीकृत डिपॉज़िट पर ब्याज की गणना एक वर्ष में 360 दिनों के आधार पर की जाती है।
(b) ब्याज की गणना और भुगतान प्रत्येक 180 दिनों के अंतराल पर और उसके बाद शेष वास्तविक दिनों के लिए किया जाता है।
बशर्ते कि परिपक्वता पर चक्रवृद्धि प्रभाव के साथ ब्याज प्राप्त करने का विकल्प जमाकर्ता के पास निहित होगा।

भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के ऐसे व्यक्ति जो स्थायी रूप से भारत लौट आते हैं, उनकी FCNR (B) डिपॉज़िट, निम्नलिखित शर्तों के अधीन परिपक्वता तक अनुबंधित ब्याज दर पर जारी रहेंगी:

a) FCNR (B) डिपॉज़िट पर लागू ब्याज दर जारी रहेगी।
b) ऐसी डिपॉज़िट को खाताधारक के भारत लौटने की तारीख से निवासी डिपॉज़िट माना जाएगा।
c) ऐसी FCNR (B) डिपॉज़िट की समयपूर्व निकासी, योजना के दंडात्मक प्रावधानों के अधीन होगी।
d) FCNR (B) डिपॉज़िट परिपक्वता पर, खाताधारक के चुने हुए विकल्प के अनुसार निवासी रुपी डिपॉज़िट खाता या RFC खाता में परिवर्तित हो जाएगा (अगर पात्र हो)।

FCNR (B) डिपॉज़िट के नवीकरण पर ब्याज की गणना बैंक द्वारा वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी।

4. **<u>सावधि डिपॉज़िट की समयपूर्व निकासी</u>** **-** बैंक अपने विवेकानुसार सावधि डिपॉज़िट की समयपूर्व निकासी की अनुमति देने का अधिकार रखता है। बैंक सावधि डिपॉज़िट की आंशिक निकासी की अनुमति केवल तभी देता है जब डिपॉज़िट किसी विशेष योजना के तहत बुक किया गया हो जो बचत/चालू खाते से जुड़ी हो। अगर समयपूर्व निकासी की अनुमति है, तो डिपॉज़िट पर लागू ब्याज और दंड का भुगतान RBI द्वारा निर्धारित मौजूदा शर्तों के साथ ही इस संबंध में बैंक द्वारा जारी एवं समय-समय पर बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध और अपडेट किए किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा सकता है।

बैंक सभी जमाकर्ताओं से लिखित/ऑनलाइन अनुरोध प्राप्त होने पर निवासी/NRO सावधि डिपॉज़िट और NRE/FCNR डिपॉज़िट को परिपक्वता तिथि से पहले निकालने की अनुमति देगा।

- समय से पहले निकाले गए रेजिडेंट/NRO टर्म डिपॉजिट पर ब्याज का भुगतान, यह डिपॉज़िट राशि जमा रखने की तिथि तक, डिपॉज़िट राशि जमा करने की तिथि पर प्रचलित दर से किया जाएगा, जो समय-समय पर बैंक द्वारा तय किए गए दंड शुल्क की कटौती के अधीन होगी।
- समय से पहले निकाले गए NRE/FCNR डिपॉजिट पर ब्याज का भुगतान केवल तभी किया जाएगा, जब समय से पहले निकासी एक वर्ष के बाद की गई हो। यह देखते हुए कि, यह डिपॉज़िट राशि जमा रखने की अवधि के लिए, यह डिपॉज़िट राशि जमा करने की तिथि पर प्रचलित दर से, समय-समय पर बैंक द्वारा तय किए गए दंड शुल्क की कटौती के अधीन होगी।
- FCNR डिपॉजिट के लिए, समय से पहले निकासी से होने वाली विनिमय हानि, अगर कोई हो, ग्राहक द्वारा वहन की जानी चाहिए।

- अगर टर्म डिपॉजिट डिपॉजिट बुकिंग के 7 दिनों के भीतर समय से पहले निकाल लिया जाता है / बंद किया जाता है, तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

यह दंड शुल्क संरचना (जैसा कि समय-समय पर बैंक द्वारा परिभाषित किया जाता है) निम्नलिखित के लिए लागू है

- व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत डिपॉज़िट
- किसी भी राशि की FCNR डिपॉज़िट।

ऐसे दंड प्रभारों में बदलाव या छूट बैंक द्वारा निर्धारित अपेक्षित अनुमोदन के अधीन होगी।

निवासी विदेशी मुद्रा (RFC) खाते में रूपांतरण के लिए NRE सावधि डिपॉज़िट (FCNR सहित) की समयपूर्व निकासी के मामले में, बैंक समयपूर्व निकासी के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाएगा।

बैंक अपने विवेकानुसार FCNR डिपॉज़िटराशियों की समयपूर्व निकासी के लिए स्वैप लागत भी अतिरिक्त रूप से लगा सकता है। अगर भुगतान किया गया ब्याज देय राशि से अधिक है, तो अतिरिक्त ब्याज डिपॉज़िट की आय से वसूल किया जाएगा। हालांकि, NRE/FCNR डिपॉज़िटराशियों के डिपॉज़िट या उसके नवीनीकरण की तिथि से 1 (एक) वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले समयपूर्व निकासी करने के मामले में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। हालांकि, बैंक अपने विवेकानुसार डिपॉज़िट करने के समय लागू नियमों और शर्तों के अनुसार व्यक्तियों, संस्थाओं और हिंदू अविभाजित परिवारों के थोक डिपॉज़िट (3 करोड़ और उससे अधिक) की समयपूर्व निकासी की अनुमति नहीं दे सकता है।

मृतक जमाकर्ताओं या संयुक्त खाताधारकों के दावेदार/दावेदारों के अनुरोध पर सावधि डिपॉज़िट की राशि को विभाजित करने के मामले में, सावधि डिपॉज़िट की समयपूर्व निकासी के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते डिपॉज़िट की अवधि और कुल राशि में कोई बदलाव नहीं होता है।

5. **<u>टैक्स बचने वाले डिपॉज़िट</u>**

- किसी भी मूल्यवर्ग की कर बचत सावधि डिपॉज़िट पांच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए होगी।
- किसी भी सावधि डिपॉज़िट को उसकी प्राप्ति की तिथि से पांच वर्ष पूरे होने से पहले भुनाया नहीं जाएगा
- कर बचत डिपॉज़िट के विरुद्ध कोई ऋण नहीं दिया जाएगा।

हालांकि, खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में, नामिती या कानूनी उत्तराधिकारी या दावेदारों या संयुक्त डिपॉज़िट के मामले में, डिपॉज़िट के जीवित धारक (धारकों) को, डिपॉज़िट के प्रथम धारक की मृत्यु के प्रमाण के साथ शाखा में आवेदन करके सावधि डिपॉज़िट को उसकी परिपक्वता से पहले भुनाने का अधिकार होगा।

6. **<u>नाबालिगों का खाता</u>** - नाबालिग के नाम पर खाता खोला जा सकता है और खाता खोलने के दौरान निर्दिष्ट प्राकृतिक या कानूनी रूप से नियुक्त अभिभावक द्वारा संचालित किया जा सकता है।

10 वर्ष की आयु पूरी कर चुके तथा पढ़ने-लिखने में सक्षम नाबालिगों को, अगर वे चाहें तो, स्वतंत्र रूप से बचत खाते खोलने की अनुमति है, लेकिन ऐसे खातों के लिए चेक-बुक जारी नहीं की जाएगी। नेट बैंकिंग (गैर-वित्तीय लेन-देन) तथा ATM संचालन (नकद निकासी, शेष राशि की जांच तथा मिनी स्टेटमेंट) के साथ डेबिट कार्ड की अनुमति दी जा सकती है। नाबालिगों को ओवरड्राफ्ट सुविधा या ऋण/अग्रिम सुविधा नहीं दिया जाएगा।

नाबालिगों/प्राकृतिक अभिभावक वाले नाबालिगों के खाते में डिपॉज़िट पर सरकार/RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिबंध होंगे।

अगर नाबालिग का खाता अभिभावक द्वारा संचालित किया जाता है, तो नाबालिग के वयस्क होने यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अभिभावक का खाता संचालित करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। खाते में कोई भी शेष राशि वयस्क हो चुके नाबालिग की एकमात्र संपत्ति मानी जाएगी; और प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद खाते से आगे की निकासी केवल नाबालिग को ही करने की अनुमति होगी। नाबालिग के साथ अभिभावक को निकटतम शाखा में जाना चाहिए और नाबालिग खाते को नियमित खाते में बदलने के लिए KYC नीति के अनुसार आवश्यक KYC दस्तावेज यानी पहचान पत्र और पते के प्रमाण के साथ नवीनतम फोटो और नमूना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना चाहिए। ग्राहक ध्यान दें कि उपरोक्त का पालन न करने पर बैंक ऐसे नाबालिग खातों के उपचार पर अपने विवेक से कार्य कर सकता है।

7. <u>निरक्षर/दृष्टिबाधित व्यक्ति का खाता</u> - बैंक बुनियादी बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करके निरक्षर व्यक्ति के चालू खातों के अलावा अन्य डिपॉज़िट खाते खोल सकता है। ऐसे व्यक्ति का खाता खोला जा सकता है बशर्ते वह बैंक में व्यक्तिगत रूप से एक गवाह के साथ आए जिसे जमाकर्ता और बैंक दोनों ही जानते हों। डिपॉज़िट राशि और/या ब्याज की निकासी/पुनर्भुगतान के समय, खाताधारक को बैंक के अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में अपने अंगूठे का निशान या छाप लगाना होगा, जो व्यक्ति की पहचान सत्यापित करेगा।

बैंक अधिकारी अशिक्षित/दृष्टिबाधित व्यक्ति को खाते से संबंधित नियमों और शर्तों के साथ-साथ उत्पादों और सुविधाओं के बारे में समझाएगा।

बैंक सुनिश्चित करेगा कि खाता खोलने की सभी औपचारिकताएं बैंक परिसर में ही पूरी की जाएं और किसी भी दस्तावेज़ को निष्पादन के लिए बाहर ले जाने की अनुमति न दी जाए। जहाँ इस नियम में अपवाद करना आवश्यक हो, वहाँ बैंक विवरणों को सत्यापित करने और फ़ोटो और अन्य दस्तावेज़ों के साथ विधिवत भरे गए खाता खोलने के फ़ॉर्म प्राप्त करने के लिए विधिवत अधिकृत अधिकारी को नियुक्त कर सकता है।

8. <u>वृद्ध एवं अक्षम व्यक्तियों अथवा ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी और मानसिक अक्षमता के कारण विकलांग व्यक्ति द्वारा खातों का संचालन -</u>

8.1 *बीमार/वृद्ध/अक्षम गैर-पेंशन खाताधारकों को सुविधा* - बीमार/वृद्ध/अक्षम खाताधारकों के मामले निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

- खाताधारक जो चेक पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ है/अपने बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए बैंक में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकता है, लेकिन चेक/निकासी फ़ॉर्म पर अपने अंगूठे का निशान लगा सकता है।
- खाताधारक जो कुछ शारीरिक अक्षमता के कारण न केवल बैंक में शारीरिक रूप से उपस्थित होने में असमर्थ है, बल्कि चेक/निकासी फ़ॉर्म पर अपने अंगूठे का निशान भी नहीं लगा सकता है।

8.2 *परिचालन प्रक्रिया* - वृद्ध/बीमार खाताधारकों को अपने बैंक खाते संचालित करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से बैंक निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगा:

- जहां भी बीमार/बूढ़े/अक्षम खाताधारक के अंगूठे या पैर के अंगूठे का निशान प्राप्त किया जाता है, उसे बैंक के दो ज्ञात स्वतंत्र गवाहों द्वारा पहचाना जाना चाहिए, जिनमें से एक बैंक का अधिकारी होगा।

- जहां ग्राहक अपने अंगूठे का निशान नहीं लगा सकता है और बैंक में शारीरिक रूप से उपस्थित भी नहीं हो सकता है, वहां चेक/निकासी फ़ॉर्म पर एक निशान प्राप्त किया जा सकता है, जिसे दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा पहचाना जाना चाहिए, जिनमें से एक बैंक का अधिकारी होगा।
- ग्राहक को बैंक को यह बताने के लिए भी कहा जा सकता है कि चेक/निकासी फ़ॉर्म के आधार पर बैंक से राशि कौन निकालेगा और उस व्यक्ति की पहचान दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा की जानी चाहिए। जो व्यक्ति बैंक से पैसा निकालेगा, उसे बैंक को अपना हस्ताक्षर प्रस्तुत करना चाहिए।

8.3 ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी और मानसिक विकलांगता के कारण विकलांग हुए व्यक्ति के लिए बैंक खाता खोलने/संचालन के उद्देश्य से बैंक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के तहत जिला न्यायालयों और जिलों के कलेक्टरों द्वारा जारी आदेश/प्रमाणपत्र स्वीकार करेगा और/या ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 के अनुसार विकलांग व्यक्ति के लिए स्थानीय स्तर की समिति द्वारा अभिभावक की नियुक्ति करेगा, जो विकलांग व्यक्ति के शरीर और संपत्ति की देखभाल करेगा।

9. <u>डिपॉज़िट अकाउंट का संचालन</u>

9.1 ***धारकों का नाम जोड़ना/हटाना*** **-** बैंक सभी संयुक्त खाताधारकों के अनुरोध पर संयुक्त खाताधारक/धारकों के नाम जोड़ने या हटाने की अनुमति दे सकता है, अगर परिस्थितियां ऐसा करने की माँग करती हैं या किसी व्यक्तिगत जमाकर्ता को संयुक्त खाताधारक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति का नाम जोड़ने की अनुमति दे सकता है। हालाँकि, नाम जोड़ने/हटाने के बाद मूल खाताधारकों में से किसी एक का नाम बरकरार रखा जाना चाहिए।

9.2 ***अधिदेश*** **-** जमाकर्ता के विशेष अनुरोध पर, बैंक ग्राहक द्वारा दिया गया खाता परिचालन अधिदेश पंजीकृत कर सकता है, जो उसकी ओर से खाता संचालित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत करता है।

9.3 ***न्यूनतम शेषराशि/सेवा शुल्क*** **-** बचत बैंक खाता (BSBDA को छोड़कर) और चालू डिपॉज़िट खाता जैसे डिपॉज़िट उत्पादों के लिए, बैंक ऐसे खातों के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के हिस्से के रूप में कुछ न्यूनतम शेषराशि बनाए रखने का नियम बना सकता है। खाते में न्यूनतम शेषराशि बनाए रखने में विफल रहने पर बैंक द्वारा मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर निर्दिष्ट शुल्क लगाए जाएंगे। बैंक किसी भी उत्पाद/खाते पर किसी निश्चित अवधि के लिए लेन-देन की संख्या, नकद निकासी आदि पर सीमा प्रतिबंध भी लगा सकता है। इसी तरह, बैंक चेक बुक, खातों का अतिरिक्त विवरण, डुप्लिकेट पासबुक जारी करने के लिए शुल्क, फोलियो शुल्क आदि निर्दिष्ट कर सकता है। खातों के संचालन के लिए नियम और शर्तों और प्रदान की जाने वाली अलग-अलग सेवाओं के लिए शुल्क की अनुसूची से संबंधित सभी विवरण संभावित जमाकर्ता को खाता खोलते समय सूचित किए जाएंगे। ये शुल्क समय-समय पर बदल सकते हैं और बैंक अपने विवेक से वेबसाइट या संचार के अन्य चैनलों के माध्यम से ग्राहक को सूचित करेगा।

9.4 ***नकद निकासी पर TDS*** **-** CBDT (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कराधान बोर्ड) के समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बचत/चालू खाते से नकद निकासी पर आयकर अधिनियम की धारा 194एन के तहत टीडीएस TDS (स्रोत पर कर कटौती) लागू होगा।

9.5 ***मूल्य तिथि का निर्धारण*** **-** नई/नवीनीकृत डिपॉज़िटराशियों के लिए मूल्य तिथि निर्धारण बैंक की प्रक्रिया के अनुसार विद्यमान पद्धति का अनुसरण करेगा।

10. **<u>करों की देयता</u>** **-** ग्राहक किसी भी वस्तु एवं सेवा कर या कानून द्वारा लगाए जाने वाले तथा समय-समय पर लागू किए जाने वाले समान प्रकृति के किसी अन्य कर के लिए उत्तरदायी होगा। अगर बैंक को ऐसे कर के संबंध में वसूली तथा भुगतान करना कानून द्वारा आवश्यक होता है, तो बैंक ऐसे भुगतानों के लिए क्षति से सुरक्षित रहेगा।

11. **<u>नामांकन की सुविधा</u>** **-** व्यक्तियों द्वारा खोले गए सभी डिपॉज़िट खातों में नामांकन सुविधा उपलब्ध है। नामांकन सुविधा एकल स्वामित्व वाली संस्था के खाते में भी उपलब्ध है। प्रत्येक खाते में केवल एक व्यक्ति के पक्ष में नामांकन किया जा सकता है। नामांकन एक बार किए जाने के बाद खाताधारक द्वारा किसी भी समय रद्द किया या बदला जा सकता है। सभी खाताधारकों की सहमति से नामांकन में संशोधन किया जा सकता है। संरक्षकता के तहत नाबालिग के पक्ष में नामांकन किया जा सकता है। बैंक सभी जमाकर्ताओं को नामांकन सुविधा का लाभ उठाने की सलाह देता है। जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में खाते में बकाया राशि प्राप्त होगी। संयुक्त खातों के मामले में, नामांकित व्यक्ति का अधिकार सभी जमाकर्ताओं की मृत्यु के बाद ही उत्पन्न होता है। जमाकर्ता को डिपॉज़िट खाता खोलते समय नामांकन सुविधा के लाभों के बारे में सूचित किया जाएगा। FD सलाह, विवरण और पासबुक में हां या नहीं के नामांकित व्यक्ति चयन विकल्प दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राहक को FD सलाह, विवरण और पासबुक में नामित व्यक्ति का नाम मुद्रित होना चुनने का विकल्प भी मिलता है।

12. **<u>खाता विवरण और पासबुक</u>** - बैंक बचत खाता और चालू खाता ग्राहकों को प्रत्येक माह खाता विवरण प्रदान करेगा। ग्राहक के अनुरोध पर, अपेक्षित समय अवधि के लिए खाता विवरण प्रदान किया जाएगा। ग्राहक को खाता खोलने के समय इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। खाता विवरण में उस अवधि के दौरान खाते में किए गए सभी लेन-देन शामिल होंगे। ग्राहकों को प्रत्येक माह विवरण निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। अगर ग्राहक चाहें तो बैंक बचत बैंक खाताधारकों को पासबुक जारी कर सकता है। खाते की गतिविधियों से अपडेट रहने के लिए पासबुक को नियमित अपडेट करवाना ग्राहक की जिम्मेदारी है।

13. **<u>खाते का स्थानांतरण</u>** **-** देश भर में किसी भी शाखा से खाते संचालित किए जा सकते हैं। हालाँकि, अगर ग्राहक को आवश्यकता हो, तो वह बैंक की किसी भी शाखा या सेवा इकाई से खाते के हस्तांतरण के लिए विवरण और प्रक्रिया प्राप्त कर सकता है।

14. **<u>मृतक व्यक्ति के खाते का प्रबंधन</u>** **-** RBI के निर्देशानुसार, बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएं अपनाई हैं कि मृतक जमाकर्ताओं के संबंध में दावों का निपटान यथासंभव सरल हो। अधिक जानकारी के लिए कृपया DBS दावा निपटान नीति देखें।

15. **<u>गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में दावों का निपटान</u>** **-** बैंक ने गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में दावों के निपटान के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 107/108 के प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया अपनाई है। अधिनियम के अनुसार, गुमशुदा व्यक्ति की मृत्यु की धारणा उसके लापता होने की रिपोर्ट की तारीख से सात वर्ष बीत जाने के बाद ही लगाई जा सकती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया DBS निपटान और दावा नीति देखें।

16. **<u>लावारिस डिपॉज़िट/निष्क्रिय खाते -</u>** अगर खाते (SB/CA/FD) से पिछले 2 वर्षों से ग्राहक प्रेरित कोई लेन-देन नहीं हुआ है तो खाता निष्क्रिय घोषित हो जाएगा और अगर अंतिम संचालन की तिथि से या FD की परिपक्वता की तिथि से 10 वर्ष या उससे अधिक समय से खाते से ग्राहक प्रेरित कोई लेन-देन नहीं हुआ है तो यह लावारिस डिपॉज़िट बन जाता है। ऐसे सभी खातों से निधियों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 A के दिशानिर्देशों के अनुसार, 10 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से 3 महीने के भीतर "जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता" (DEA) निधि योजना में डिपॉज़िट कर दिया जाएगा।

16.1 ***रिकॉर्ड रखना और समय-समय पर समीक्षा*** **-** निधि में राशि हस्तांतरित करने की तिथि पर, बैंक समवर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित ग्राहक-वार विवरण बनाए रखेगा, जिसमें अर्जित ब्याज का भुगतान भी शामिल है। निधि में हस्तांतरित बिना ब्याज वाले डिपॉज़िट और अन्य क्रेडिट के संबंध में, ग्राहक-वार विवरण, जिनका विधिवत ऑडिट किया जाएगा, बैंक के पास रखे जाएंगे। सभी लावारिस डिपॉज़िट/निष्क्रिय खातों की प्रत्येक वार्ष समीक्षा की जाएगी और बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

16.2 ***शिकायत निवारण तंत्र*** **-** जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014 - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26A के संबंध में RBI के परिपत्र के अनुसार, बैंक दस साल या उससे अधिक समय से दावा न किए गए डिपॉज़िट/निष्क्रिय खातों की सूची हमारी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा। बैंक ने ऐसे खातों से संबंधित शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एक शिकायत निवारण नीति तैयार किया है, जो हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित है और एस्केलेशन मैट्रिक्स के साथ सभी भारतीय शाखाओं में उपलब्ध है।

16.3 ***ग्राहक से दावा*** **-** ग्राहक DEAF में स्थानांतरित किसी भी डिपॉज़िट पर दावा करने के लिए उस शाखा से संपर्क कर सकता है जिसमें खाता है। आवेदन पत्र, डिपॉज़िट खाता और राशि के विवरण के साथ वैध पहचान प्रमाण सहित प्रासंगिक दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। अगर यह दावा जमाकर्ता की मृत्यु के कारण किया गया है, तो कानूनी उत्तराधिकारी/नामांकित व्यक्ति जमाकर्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र की एक प्रति और अन्य प्रासंगिक कानूनी दस्तावेजों के साथ शाखा से संपर्क कर सकता है। ऐसे सभी दावों के लिए बैंक के मृतक दावा दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा। बैंक ग्राहक/जमाकर्ता को ब्याज सहित, अगर लागू हो, चुकाएगा और जमाकर्ता को भुगतान की गई समतुल्य राशि के लिए फंड से रिफंड का दावा फ़ॉर्म दाखिल करेगा। ग्राहक नवीनतम KYC विवरण (फोटो चिपका हुआ CIF, आईडी प्रमाण और पते का प्रमाण) के साथ आधार शाखा से संपर्क कर सकते हैं और खाते को पुनः सक्रिय करने का अनुरोध कर सकते हैं।

17. **<u>अन्य बैंकिंग सेवाएं</u>**

स्टॉप पेमेंट सुविधा **-** बैंक जमाकर्ताओं द्वारा जारी किए गए चेक के संबंध में स्टॉप पेमेंट निर्देश स्वीकार करेगा। निर्दिष्ट शुल्क लागू होंगे।

सुरक्षित डिपॉज़िट लॉकर **-** बैंक विशिष्ट बैंक शाखाओं के माध्यम से सुरक्षित डिपॉज़िट लॉकर सुविधा प्रदान करता है और जहां भी सुविधा प्रदान की जाती है, सुरक्षित डिपॉज़िट लॉकर का आवंटन उपलब्धता और सेवा से जुड़ी अन्य शर्तों का अनुपालन होने पर निर्भर होगा।

18. अकाउंट बंद करना

18.1 जमाकर्ता के विशेष अनुरोध पर खाते बंद किए जा सकते हैं। संयुक्त खाते केवल सभी संयुक्त हस्ताक्षरकर्ताओं के अनुरोध पर ही बंद किए जा सकते हैं।

18.2 बैंक पर्याप्त नोटिस देकर चालू, बचत या किसी भी मांग डिपॉज़िट खाते को बंद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

19. अन्य ज़रूरी जानकारियां

19.1 ***ग्राहक हितों की सुरक्षा-*** बैंक खाता खोलते समय ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी को महत्व देता है और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

बैंक इस जानकारी का इस्तेमाल ग्राहक की जानकारी के बिना सेवाओं या उत्पादों की क्रॉस सेलिंग मेंनहीं करेगा। अगर बैंक ऐसी जानकारी का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव रखता है, तो यह पूरी तरह से खाताधारक की सहमति से होगा।

बैंक ग्राहक की स्पष्ट या निहित सहमति के बिना उसके खाते का विवरण किसी तीसरे व्यक्ति या पक्ष को नहीं बताएगा, जब तक कि कानून/वैधानिक प्राधिकरणों के तहत ऐसा करना आवश्यक न हो।

19.2 ***डिपॉज़िट के लिए बीमा कवर_***- सभी बैंक डिपॉज़िट, कुछ सीमाओं और शर्तों के अधीन, डिपॉज़िट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया (DICGC) द्वारा दी जाने वाली बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं। लागू बीमा कवर का विवरण जमाकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए, ग्राहक www.dicgc.org.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।

19.3 ***ग्राहक द्वारा सूचना प्रदान करने में असमर्थता -*** वैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए बैंक द्वारा अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने में मौजूदा ग्राहक की असमर्थता के कारण भी ग्राहक को उचित सूचना प्रदान करने के बाद खाता बंद किया जा सकता है।

19.4 ***शिकायतों और अभियोगों का निवारण -*** जो ग्राहक बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बारे में प्रतिक्रिया देना चाहते हैं या कोई शिकायत/अभियोग दर्ज कराना चाहते है, वे ग्राहक शिकायतों/अभियोगों को निपटाने के लिए बैंक द्वारा नामित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। शिकायतों/अभियोगों के निवारण के लिए प्रक्रिया और संपर्क का विवरण शाखा परिसर में/वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। शाखा अधिकारी शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। अगर ग्राहक को शिकायत की तारीख से एक महीने के भीतर बैंक से जवाब नहीं मिलता है या दिए गए जवाब से वह संतुष्ट नहीं है, तो उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करने का अधिकार है।
ग्राहक बैंक की विस्तृत शिकायत नीति देखने के लिए बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं।

19.5 ***निष्क्रिय खाते -*** RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, खाते में शेष राशि की परवाह किए बिना, ग्राहक द्वारा किए गए अंतिम लेनदेन की तारीख से 12 महीने बाद खाते को "निष्क्रिय" घोषित कर दिया जाएगा। इन खातों की परिचालन स्थिति चाहे कुछ भी हो, खाते में ब्याज नियमित आधार पर डिपॉज़िट किया जाता है।

19.6 ***प्रसुप्त (डॉरमेंट) खाता*** **-** RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, खाते में शेष राशि की परवाह किए बिना, ग्राहक द्वारा किए गए अंतिम लेनदेन की तारीख से 24 महीने के बाद खाते को "प्रसुप्त (डॉरमेंट)" घोषित कर दिया जाएगा। इन खातों की परिचालन स्थिति चाहे कुछ भी हो, इन खातों में ब्याज, नियमित आधार पर डिपॉज़िट किया जाता है। बैंक ने निवासी और अनिवासी दोनों ग्राहकों के लिए प्रसुप्त (डॉरमेंट) खातों को सक्रिय करने की एक प्रक्रिया निर्धारित की है। जिन ग्राहकों के बैंक में कई खाते हैं, जिनमें से एक या अधिक खाते प्रसुप्त (डॉरमेंट) हैं और कम से कम एक खाता सक्रिय है, उनके लिए उचित सत्यापन और नियंत्रण के साथ उचित परिश्रम प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। ग्राहक की प्रोफ़ाइलिंग के अनुसार उचित परिश्रम के बाद ऐसे खातों में परिचालन की अनुमति दी जा सकती है। उचित परिश्रम का अर्थ लेनदेन की वास्तविकता सुनिश्चित करना, हस्ताक्षर और पहचान आदि का सत्यापन करना होता है।

19.7 ***अप्रत्याशित घटना*** **-** अप्रत्याशित घटना का अर्थ है दैवीय आपदा, बाढ़, सूखा, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आफत या स्थिति, आपदा, महामारी या वैश्विक महामारी, आतंकवादी हमला, युद्ध या दंगे, परमाणु, रासायनिक या जैविक संदूषण, औद्योगिक कार्रवाई, बिजली की विफलता, कंप्यूटर का खराब होना या तोड़फोड़, और इमारतों का गिरना, आग लगना, विस्फोट या दुर्घटना या ऐसी अन्य कार्यवाहियां जो बैंक के उचित नियंत्रण से परे हैं।

बैंक के दायित्वों का निष्पादन तब तक स्थगित रहेगा जब तक कि अप्रत्याशित घटना या परिस्थितियां निष्पादन को असंभव बनाती रहेंगी। सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर बैंक अप्रत्याशित घटना के परिणामों को कम करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी औद्योगिक कार्रवाई, बिजली की विफलता, कंप्यूटर टूटने या तोड़फोड़ के मामले में, बैंक अपनी सेवाओं के प्रावधान में देरी को कम करने के लिए उचित कदम उठाएगा और अपने ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा।

III. प्रशासन

<u>स्वामित्व और अनुमोदन प्राधिकारी</u>

यह नीति DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के बोर्ड द्वारा अनुमोदित है। ऐसा कोई भी बदलाव जो मूलभूत नहीं है, लेकिन आकस्मिक या प्रशासनिक प्रकृति का है, उसके लिए अनुमोदन प्राधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

इस नीति के माध्यम से बोर्ड, CBG सेवाओं और उत्पादों के लिए परिवर्तनों को अनुमोदित करने या पेश करने का अधिकार उपभोक्ता बैंकिंग समूह के भारत प्रमुख को सौंपता है।

<u>समीक्षा</u>

इस नीति की समीक्षा तीन साल में एक बार (एक महीने तक की छूट के साथ) की जानी चाहिए या अगर नियामक क्षेत्र में विकास या आंतरिक विकास के कारण पहले ही बदलाव की आवश्यकता हो तो इससे पहले ही की जानी चाहिए ताकि निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित की जा सके।

परिशिष्ट1 शब्दावली

[यूनिट की शब्दावली का लिंक जिसमें यूनिट के अधिदेश, नीतियों और मानकों की व्याख्या करने के लिए ज़रूरी सभी शब्दों, लघुनामों और संक्षिप्ताक्षरों की परिभाषाएं तय की गई हैं]

GOI- गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया (भारत सरकार)
DBIL- DBS बैंक इंडिया लिमिटेड
DBL- DBS बैंक लिमिटेड
WOS- होली ओन्ड सब्सिडियरी (पूरे स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
ALCO- एसेट लायबिलिटी कमेटी
DBT- डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफ़र
PAN- परमानेंट अकाउंट नंबर (स्थायी खाता संख्या)
KYC- नो योर कस्टमर (अपने ग्राहक को जानें)
FCNR deposit- फॉरेन करेंसी नॉन-रेज़िडेंट डिपॉज़िट अकाउंट (विदेशी मुद्रा अनिवासी डिपॉज़िट खाता)
NRE- नॉन-रेज़िडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट (अनिवासी बाहरी रुपया खाता)
NRO- नॉन-रेज़िडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट (अनिवासी साधारण रुपया खाता)
PIO/OCI- पर्सन ऑफ़ इंडियन ओरिजिन/ ओवरसीज़ सिटिज़न ऑफ़ इंडिया (भारतीय मूल का व्यक्ति/भारत का विदेशी नागरिक)
CERSAI- सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ़ सिक्योरिटाईज़ेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऐंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ़ इंडिया
CKYCR- सेंट्रल KYC रजिस्ट्री
PID - पर्सनल इंफ़ॉर्मेशन डिटेल्स
OVD - ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स (अधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़)

परिशिष्ट1 पिछले संस्करण

संस्करण	जारी करने की तिथि	प्रमुख बदलावों का सारांश
1.0	फ़रवरी 2022	- DBS और e-LVB के बीच नीति में सामंजस्य
2.0	जून 2023	- आधार ओटीपी आधारित सावधि डिपॉज़िट शामिल - FCNR (B) स्लैब जोड़ा गया - सुरक्षित डिपॉज़िट लॉकर शामिल - समीक्षा अवधि में शामिल
3.0	अगस्त 2024	- थोक डिपॉज़िट वर्गीकरण में बदलाव - सुपर सीनियर सिटीजन को शामिल करना - दावा न किए गए डिपॉज़िट/निष्क्रिय खातों की आवधिक समीक्षा को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया